रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1978/चैत्र 10, 1900
No. 112] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1978/CHAITRA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनायें

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1978

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 213(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 150-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, "31 मार्च, 1978" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 मार्च, 1981" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 75/का० सं० 355/12/78-सीमाशुल्क-I]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS
New Delhi, the 31st March, 1978

CUSTOMS

G. S. R. 213(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 150-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In paragraph 2 of the said notification for the figures letter and word "31st March, 1978", the figures, letters and word "31st March, 1981" shall be substituted.

[No. 75/F No. 355/12/78-Cus I]

सा० का० नि० 214 (अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 66-सीमाशुल्क, तारीख 14 अप्रैल, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है निम्नलिखित वस्तुओं को, जब वे भारत सरकार द्वारा भारत में आयात की जायें, या जब उनका भारत सरकार के किसी विभाग के आदेश पर पोत द्वारा परिवहन किया जाये, और उन्हें पोत परिवहन के समय ऐसे आदेश के अनुसार विनियुक्त किया जाये, तब, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1976 (1976 का 5) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से, इस शर्त पर छूट देती है कि ऐसा आयात या पोत परिवहन कूप मैन लाइट मैटल फ्लोट ब्रिज के विनिर्माण के सम्बन्ध में किया जायेगा, अर्थात्—

(i) घटकों के विनिर्माण के लिये अपेक्षित जिग, फिक्सचर और गेज, और

(ii) तैयार वस्तुओं के रूप में प्रसंस्कृत की जाने वाली पिटवां और अर्धपिटवां वस्तुएं, जैसे, बहिर्वेधित परिच्छेदिकायें, (प्राफाइल) नलिकाएं (ट्यूब), पट्टिकाएं (प्लेटें), ढालन, (कास्टिंग), फोर्जन (फोर्जिंग), इस्पात चादरें (स्टील शीटें)।

2 यह अधिसूचना 31 मार्च, 1979 तक जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 76/फा० सं० 355/5/78-सीमाशुल्क-I]

G. S R. 214(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 66-Customs, dated the 14th April, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the following articles, when imported into India by the Government of India or when shipped on the order of a Department of the Government of India and appropriated to such order at the time of shipment from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the condition that such importation or shipment shall be in connection with the manufacture of Krupp Man Light Metal Float Bridge, namely :—

(i) jigs, fixtures and gauges required for the manufacture of components; and

(ii) wrought and semi-wrought items like extruded profiles, tubes, plates, castings, forgings, steel sheets, to be processed into finished components.

2 This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1979.

[No. 76/F. No. 355/5/78-Cus. I]

सा० का० नि० 215(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1978 के खण्ड 35 के उपखण्ड (4), जो खण्ड करो का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक मे की गई घोषणा के आधार पर, विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना स० 54—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 मे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे, क्रम स० 190 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियो के पश्चात् निम्नलिखित क्रम स० और प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्.—

"191 सं० 76 सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 1978"

[स० 77/फा० स० 355/5/78-सीमाशुल्क-I]

एम० जयरामन, अवर सचिव

G. S. R. 215(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 35 of the Finance Bill, 1978, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance Department of Revenue No. 54-Customs, dated the 1st March, 1978, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after serial No. 190 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be inserted, namely :—

"191. No. 76 Customs, dated 31 March, 1978."

[No. 77/F. No. 355/5/78-Customs-I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978